







# ধোনী জৈসা কোর্ট ভী নহীঁ



# सम्पादकाय

## ग्रामसमा से ही आत्मनिर्भरता

अधिनान रहत हुए कोइ आत्मानभर नहीं बन सकता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वशासन की बात करते हए अंतिम जन की मुक्ति की बात की। उन्होंने ग्राम पंचायतों को स्वशासन का आधार माना। यह शासन के विकेंट्रीकरण नहीं, बल्कि हर नागरिक को आत्मनिर्णय का अधिकार दिये जाने का विचार था। वर्तमान, आत्मनिर्भरता पर बहस का आधार आर्थिक है। यह सामाजिक और सामूहिक रास्तों से ही मुकम्मल हो सकती है। नब्बे के दशक में विश्व बाजार के लिए दरवाजे खोले गये। इसने विदेशी निवेश को तो बढ़ावा दिया, लेकिन देसी उत्पादकता को नहीं। वैश्विक एवं वैचारिक संदर्भों में ग्रामसभा की महत्ता बनी हुई है। अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की स्थितियां अलग-अलग हैं। गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा सीधे-सीधे पंचायत के ढांचे के अंतर्गत हैं। यहां संसदीय राजनीति की सारी गडबडियां हैं। लेकिन, सर्विधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों यानी आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामसभा का स्वरूप अलग है। एसपीटी, सीएनटी- एकट विलक्षित स्वभाव अलग है। पीडीएसए अधिनियम ने इसे और भी विस्तार दिया है। यहां ग्रामसभा का स्वरूप पारपरिक है और स्वभाव सामूहिक व स्वायत्त है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा को निर्णय लेने की संस्था के रूप में गठित किया गया है, न कि ऊपर से प्रेषित शासकीय आदेश का अनुकरण करने के लिए। इन क्षेत्रों में ग्रामसभा को स्थानीय स्तर पर जमीन की बंदोबस्ती, हाट की बाजारीश्च लेने वाले ग्राम पंचायतों द्वारा गांधीजी अधिकार दिये

लागू हुआ। इस सविधान में उन सभी रंगों की आकांक्षाओं को समेटा गया जो विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थे। इसे तैयार करने में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, कहन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आदि अनेक नेताओं ने कड़ी मेहनत की थी। इसे कानूनी शब्दावली देने, दुनियाभर के संविधानों में जो भी अच्छा है उसे समेटने और सविधान को अतिम-जन का रंग देने में संविधान की ड्राफिटिंग कमिटी के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी भूमिका निभाई जो अमर रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने गणतन्त्र की खुशी के इस महोल में ही एक स्पष्ट चेतावनी दे डाली थी कि हमारा यह संविधान चाहे कितना भी अच्छा और पवित्र माना जाये, यदि इसका उपयोग करने वाले शासक ही बुरी मंशा वाले हों तो यह संविधान उनके हाथों में पड़कर नष्ट-प्रष्ट हो जाएगा। विद्वान अंबेडकर को नियम-कानून की सीमाओं का अच्छी तरह पता था। वे लोकतान्त्रिक चुनाव पद्धति की विद्वरूपता को भी झेल चुके थे और समझ चुके थे। ऐसे में उनके द्वारा दी गई यह चेतावनी मात्र सौजन्यता नहीं थी। वे एक वास्तविक खतरे की ओर

कुछ भी हम देख रहे हैं, उसका ट्रेलर कोई 45 वर्ष पहले इन्दिरा जी के जमाने में देख चुके हैं। वो तो जयप्रकाश नारायण की नैतिक शक्ति थी जिसने जनता को जगाया और तानाशाही पराजित हुई। एक पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट ट्रेलर बन कर रह गई। आज तो स्क्रिप्ट तैयार है। रिहर्सल हो चुका है। फ़िल्म बननी शुरू हो चुकी है। कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है। फ़िल्म भी जनता तो जागेगी ही, भले फ़िल्म कुछ लम्बी चल जाये। कर्नाटक, गोवा या मध्यप्रदेश और आज राजस्थान में जो कुछ चल रहा है वह सब समेटते हुए देखें तो दृश्य यह है कि सत्ता-हड्डप की ओछी राजनीति के खुले खिल में सासक नेता बिना किसी शर्म के नंगे होकर कूद पड़े हैं और इसमें न्यायालय भी शामिल हुआ दीखता है। ये सविधान को बस्त्र-दर्द-बस्त्र, निर्वस्त्र कर रहे हैं। विपक्ष हत-बल है। कांग्रेस कुछ सुगंभीता है तो उसे आपातकाल का वही आधी शताब्दी पुराना आईना दिखा दिया जाता है और वह दब जाती है। यह दबना भी सिर्फ़ इसलिए कि उसने जनता से अब तक उस संवैधानिक अपराध की आधी-अधूरी मापी ही मांगी है। उस समय की कांग्रेस केवल आपातकाल की अपराधी नहीं थी,

था, जपा के इसमूर्ण क्रांतिशं आंदोलन की मुख्यालिप्त करना। अन्य दलों की तरह ही कांग्रेस भी उस आंदोलन को विभिन्न दलों के गठजोड़ का आंदोलन मान बैठी है। इस नासमझी में से उसे निकलना होगा। तब वह फसिस्टों द्वारा चलाई जा रही आपातकाल की पुरानी छड़ी की मार से दबेगी नहीं। क्योंकि तब संविधान संरक्षकों की उसकी सूची में नेहरू के साथ जयप्रकाश का नाम भी रहेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है उसे नासमझी में यह न समझें कि यह इस मुख्यमंत्री या उस मुख्यमंत्री पर हमला है, कांग्रेस पर हमला है या नक्सलवाद की हिंसा पर हमला है। यह सीधा हमला है, उस भारत पर जो स्वतन्त्रता संग्राम द्वारा निर्धारित दिशा की ओर बढ़ना चाहता है। संविधान की जिस दोर को पकड़कर देश सर्व-समावेशी संपत्ति, समता और स्वतन्त्रता की ओर बढ़ सकता है, उस दोर को ही, आज की सत्ता छिप-भित्र कर देने की उतावली में है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह इस देश पर आई हर आपदा को अवसर में बदलने की जी-तोड़ कोशिश कर रही है। अर्थिक मंदी की आपदा को गहरा बनाने में इस सरकार की अपनी नीतियां कम जिम्मेदार नहीं हैं। गलत अर्थिक

अलग दास्तान है ही, इस सरकार ने आपदा को अवसर में बदलते हुए असंबंधित भ्रष्टाचार की नीतियों को भी संविधान की पुस्तक में शामिल कर दिया है। सरकार बनाने वाली पार्टियां भी अब कानूनन विदेशों से धन प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन औरों की तरह उन्हें इसका कोई हिसाब नहीं देना होता। चुनाव के लिए ये पार्टियां कंपनियों से अरबों रुपये प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन इसका इन्हें कानूनन कोई लेखा-जोखा नहीं रखना है। कंपनियां बिना किसी लेखा-जोखा के करोड़ों रुपये प्राप्त कर सकते, इसके लिए चुनावी बॉन्ड का भ्रष्ट रास्ता निकाला गया है। पीएम केयर्स फंड तो बनाया ही इसलिए गया है कि प्रधानमंत्री जनता के पैसे का मनमाना उपयोग कर सकें। इसे इकट्ठ करने में सरकार के आदेशों का धड़ल्ले से उपयोग हुआ है जिसका अनुपालन सरकार के कर्मचारियों को मजबूरन करना पड़ा है। इस राशि को सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। सरकार द्वारा इसकी ऑडिट नहीं कराई जा सकती। ये सब लाखों, करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का कानूनी रास्ता है। भारत के संविधान का यह खुला मखौल देश को आर्थिक अराजकता के अंधकार में फेंक देने जैसा है।

दुनिया भर के तानाशाहों और प्रसिस्टों के लिए एक अवसर के रूप में ही आई हैं। रूस में राष्ट्रपति गुटिन ने बड़े ही लोकतान्त्रिक तरीके से अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ावा लिया है। उधर चीन ने भी संविधान के अनुसार, हांगकांग में ऐसे कानून बना लिए हैं कि सरकार अपने विरोधियों को आजीवन कारावास में रख सकती है या फँसी मी दे सकती है। हमारे भारत में भी कोरोना की इस अक्षरशरू विपदा की वज़ी का फ़ासिस्ट सत्ता एक अवसर के रूप में उपयोग कर रही है। यूपीए (अनलॉग्यूल एक्टिविटीज प्रिवेशन एक्ट -2019), एनएसए (नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट) और शआइपीसीश (ईडियन पीनल कोड) की धारा 124-ए (जो देशवासियों पर राष्ट्रदेह का आरोप लगाती है), जैसे कानूनों का सरकार अपने विरोधियों का दबाने के लिए धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है। ये कानून ऐसे हैं कि न्यायालय इनमें दखल नहीं दे सकता। यह सरकार की इच्छा पर है कि उसका विरोधी कब तक जेल में पसड़े। संविधान की आत्मा के विरोधी इन कानूनों के कारण गर्भवती लड़कियां तक जेल में डाली गईं। सरकार की नजर में ये हिन्दू और नुसलमान लड़कियां भ्रष्ट और

विद्वान आज सरकार द्वारा जेल में डाले गए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान भी। इन सभी पर सरकार ने हिंसा फैलाने का आरोप लगाया हुआ है। वास्तविकता यह है कि ये समाज में फैली नम हिंसा की जड़ में जो छिपी हिंसा है उनका अध्ययन कर समाज के सामने रखते हैं। विडम्बना यह है कि स्वयं हिंसा में विश्वास रखने वाली सरकार हिंसा फैलाने का ही आरोप लगाकर इहें जेल में बंद किए हुए हैं। अनेक बार निर्दोष सिद्ध होकर जेल से छुटे 80 वर्ष के कवि वरबरा राव तो दो वर्षों से ऐसे कानून के तहत जेल में बंद हैं कि वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा नहीं सकते। अभी कोरोना ग्रस्त हुए तो भी उहें छोड़ा नहीं गया। यह सब एक प्रकार से प्रशासनिक एनकाउंटर है। जैसे पुलिस के द्वारा किए गए सही या गलत एनकाउंटर की न्यायिक जांच होती रही है, वैसे ही ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई की भी न्यायिक जांच का और गलत पाये जाने पर जिम्मेदार को उचित सजा देने का प्रवधान किया जाना चाहिए। आपदा को अवसर में बदलने का मुहावरा कोई पचास साल पहले सर्वोदय दर्शन के विद्वान दादा धर्माधिकारी से सुना था।

# सावधान के सकट

# ਰाजस्थानः विश्वासमत प्राप्त करने की मतलब

लक्षण का नारंगी इस रूप में हुए है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत जीतकर आगामी 6 महीने के लिए यह संदेश दिया है कि अब वे अजेय और अमर हैं। ऐसा केन्द्रीय नेतृत्व के प्रति सचिन पायलट के समर्पण के फलस्वरूप ही संभव हो गया जिसमें महासचिव प्रियंका गांधी की भी भूमिका स्वीकार की जा रही है। सोनिया गांधी तो संगठन की अध्यक्ष ही नहीं, परिवार की मां भी हैं। इसलिए वे दोनों को समझती हैं, उनके पास लम्बे समय का सांगठनिक अनुभव भी रहा है। उन्होंने भी इस फैसले पर सहमति जता दी जिसके अनुसार अब आन्तरिक विरोधों के समाधान के लिए तीन सदस्यों की एक समिति का निर्माण होना है। प्रतीक्षा यही हो रही थी कि सब-कुछ कायदे से निपट जाय, उसके बाद ही यह प्रक्रिया आरम्भ होनी चाहिए। 14 अगस्त को राज्यपाल ने जिस दिन विधानसभा की बैठक बुलाने की अनुमति दी थी, उसके पहले ही दिन इस कार्य में विपक्षी दल भाजपा भी इस रूप में सहयोगी हुआ क्योंकि उसने कहा कि सत्र के आरम्भ में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का उसका इरादा नहीं है, लेकिन 199 में से केवल 74 सदस्यों के बल पर वे अविश्वास प्रस्ताव का दिखावा मात्र तो कर सकते थे, लेकिन संदेश तो यह देना था कि यह सत्तारूढ़ और विपक्ष की मिली भगत नहीं, बल्कि वास्तविकता पर आधारित हैं। इसलिए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाजपा के चार सदस्यों के जो भाषण हुए उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वे सत्तारूढ़ दल की परेशानियों से \_\_\_\_\_ दोनों \_\_\_\_\_ दोनों \_\_\_\_\_ में

उगांगा करना ये हथाता तो दिया गया कि कार्गेस अपने अन्तर्विराधों से ग्रस्त होकर 35 दिनों से जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी, वह वास्तव में हमारी देन नहीं, बल्कि उसी के अपने कारणों की परिणति है। यह स्थिति किसी भी दल के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी उपयोगी नहीं मानी जा सकती। लेकिन सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री द्वारा अपने अन्तर्विराधियों के लिए खास करके उसके नेता सचिन पायलट के विरुद्ध जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, अवसर आने पर उसकी काट और विरोध करने में पायलट नहीं चूके। लेकिन फिर भी समय की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं कवच पहनकर भाला लेकर अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए खड़ा हूँ, इसमें किसी तरीके की चूक नहीं होगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वे 19 विरोधी सदस्यों की भूमिकाओं के विपरीत भी बहुमत साबित करने पर तो उतारू थे, ही यह बात दूसरी है कि इस जीत का आनन्द ही कुछ और होगा। इस पूरे प्रकरण में जिस कटुतापूर्ण व्यवहारों का प्रदर्शन देने और से हो चुका था सत्र के दौरान ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके कि यह अस्थायी था, जिसके प्रमाण आज भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अपनों के बल पर ही यह बहुमत प्राप्त हो रहा है उसकी परिणति हम कुछ और समझते हैं। हममें कुछ कमियां भी थीं, लेकिन उनका निदान डाक्टर के रूप में पार्टी नेतृत्व ने किया है जिसमें वे सफल भी हुए हैं। इस प्रकार यह विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव का झमेला लम्बे समय तक विधान सभा की चर्चाओं

प्रत्याप करना बिना जन का मान का मौका ही नहीं आया, इसे विषयक ने भी मान लिया कि सरकार बहुमत में हैं और सदन के भीतर भी वह पूर्णरूप से प्रतिपादित हो रहा है। अब अन्त में यह औपचारिकता के रूप में सम्पन्न हो गया। राजस्थान के राज्यपाल इस बैठक के आग्रह को जिस प्रकार टालने पर उतारू थे, वह तो उन संवैधानिक व्यवस्थाओं के भी विपरीत था। क्योंकि सदन का सत्र बुलाना सरकार के दायित्वों के अन्तर्गत आता है। चूंकि सदन का सत्रावसान घोषित हो गया था, इसलिए सत्र आरम्भ करने की आवश्यकता थी लेकिन इसके लिए भी मुख्यमंत्री को बराबर चिठ्ठियां लिखनी पड़ीं, तब कहीं जाकर दो सप्ताह बाद 14 अगस्त की तिथि ही मिल पाई। इससे तो यही लगता था कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति भी पार्टी हितों के बजाय संविधान को समर्पित नहीं दिखते हैं क्योंकि पद की शपथ लेने के दिन से ही संवैधानिक प्रमुख को क्षुद्र राजनीति से परे माना जाता है। राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित हो उसका दायित्व तो उसकी देखभाल करना है किसी के राजनैतिक हितों या स्वार्थों की पूर्ति से उसे परे होना चाहिए। लेकिन कठिनाई यही है कि केवल इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में भी विभिन्न राज्यपालों की भूमिकाओं पर जब विचार होता है तब वे खरे नहीं उतरते जिससे निष्कर्ष यही निकलता है कि यह संवैधानिक पद भी वास्तव में पार्टी हितों की रक्षा के लिए ही होते हैं। इसलिए दल विहीन होने की अपेक्षा निरर्थक हो जाती है, वे सरकार के विषय के रूप में ही आ जाएँ।

A close-up photograph of a man wearing a blue surgical mask with the letters 'PPE' printed on it in white. He is wearing a dark-colored button-down shirt. The background is out of focus, showing what appears to be an outdoor setting with other people.



